ISSN:
[xxxxxxxxxx]

Bharatiya Nav Shodh Adhyayan Patrika
Volume 1, Issue 1 | October- December 2026 | Pages 33-37

घरेलू हिंसा: एक सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. आराधना यादव

डॉ. राम मनोहर लोहिया महिला महाविद्यालय, गुरसराय, झाँसी (उत्तर प्रदेश)

Received: 11/08/2026

Revised: 15/09/2026

Published: 02/10/2026

E-Mail
aradhanayadav980@gmail.com

DOI
[XXXXXXXXXXXXX]

Copyright
© The Authors. This article is published by Bharatiya Nav Shodh Adhyayan Patrika.

How to Cite
Yadav, A. (2026). घरेलू हिंसा: एक सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन. Bharatiya Nav Shodh Adhyayan Patrika, 1(1), 33-37.
यादव, आराधना (2026)। घरेलू हिंसा: एक सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन। भारतीय नव शोध अध्ययन पत्रिका, खंड 1, अंक 1, अक्टूबर–दिसंबर 2026, पृ. 33-33

सारांश/ Abstract

घरेलू हिंसा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका प्रभाव मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के जीवन पर व्यापक रूप से दिखाई देता है। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक तथा यौन हिंसा भी सम्मिलित है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, लैंगिक असमानता, दहेज प्रथा, आर्थिक निर्भरता, नशे की प्रवृत्ति, अशिक्षा तथा सामाजिक रूढ़ियाँ घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। यह समस्या व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में घरेलू हिंसा की अवधारणा, इसके विभिन्न स्वरूपों, प्रमुख कारणों, सामाजिक प्रभावों तथा रोकथाम के उपायों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि घरेलू हिंसा को केवल पारिवारिक विवाद मानना उचित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, शक्ति-संबंधों और लैंगिक असमानता से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और परिवार एवं समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : **घरेलू हिंसा, महिला, लैंगिक असमानता, पितृसत्ता, महिला सशक्तीकरण, परिवार, सामाजिक समस्या**

ISSN:
[xxxxxxxxxx]

Bharatiya Nav Shodh Adhyayan Patrika
Volume 1, Issue 1 | October- December 2026 | Pages 33-37

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर कई बदलाव हुए है लेकिन महिलाएँ आज भी परिवार के अंदर विभिन्न प्रकार की हिंसा को सहन करती हैं। घरेलू हिंसा के दो रूप होते है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष । मारपीट, चोट पहुँचाना और शारीरिक प्रताड़ना इसके प्रत्यक्ष रूप हैं, जबकि अपमानित करना, धमकाना, आर्थिक नियंत्रण, सामाजिक रूप से अलग-थलग करना और मानसिक दबाव बनाना इसके अन्य स्वरूप हैं।

घरेलू हिंसा को समझने के लिए इसे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखना आवश्यक है।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

घरेलू हिंसा का प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव बच्चों, परिवार की सामाजिक संरचना पड़ता है। हिंसापूर्ण वातावरण में रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए घरेलू हिंसा का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से परिवार में एकता -संबंधों, लैंगिक भूमिकाओं, सामाजिक मान्यताओं और असमानताओं को समझने में सहायता मिलती है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- घरेलू हिंसा की अवधारणा को स्पष्ट करना।
- घरेलू हिंसा के भिन्न 2 स्वरूपों का अध्ययन करना।
- घरेलू हिंसा के सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों का विश्लेषण करना।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं एवं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता के संबंध को समझना।
- घरेलू हिंसा को रोकने3 के लिए आवश्यक उपायों को चिन्हित करना।
- महिलाओं को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध सहायता तंत्र के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता को स्पष्ट करना।

4. शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। संबंधित विषय पर प्रकाशित पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, जनगणना एवं राष्ट्रीय सर्वेक्षणों तथा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

अध्ययन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से घरेलू हिंसा के कारणों, स्वरूपों एवं प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

ISSN:
[xxxxxxxxxx]

Bharatiya Nav Shodh Adhyayan Patrika
Volume 1, Issue 1 | October- December 2026 | Pages 33-37

5. घरेलू हिंसा की अवधारणा

घरेलू हिंसा से आशय परिवार अथवा घरेलू संबंधों के भीतर होने वाली ऐसी हिंसा या प्रताड़ना से है, जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक तथा अन्य प्रकार की क्षति होती है।

घरेलू हिंसा की विशेषता यह है कि यह अक्सर ऐसे संबंधों में होती है जहाँ पीड़ित और हिंसा करने वाले व्यक्ति के बीच निकट पारिवारिक अथवा घरेलू संबंध होते हैं। इसी कारण कई मामलों में पीड़ित व्यक्ति हिंसा के विपरीत शिकायत करने में संकोच करता है।

6. घरेलू हिंसा के प्रमुख स्वरूप

6.1 शारीरिक हिंसा

मारपीट करना, चोट पहुँचाना, धक्का देना, जलाना या शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाना शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है।

6.2 मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा

लगातार अपमानित करना, गाली देना, धमकी देना, डराना, तिरस्कार करना और आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा के रूप हैं।

6.3 आर्थिक हिंसा

महिला की आय या संपत्ति पर नियंत्रण रखना, उसे आर्थिक संसाधनों से वंचित करना या आवश्यक खर्च के लिए निर्भर बनाए रखना आर्थिक हिंसा का स्वरूप हो सकता है।

6.4 यौन हिंसा

बिना सहमति के यौन व्यवहार के लिए दबाव बनाना अथवा किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना यौन हिंसा के अंतर्गत आता है।

6.5 सामाजिक हिंसा

परिवार या समाज के अन्य सदस्यों से संपर्क करने से रोकना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना या व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग-थलग करना भी हिंसा का एक रूप हो सकता है।

7. घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण

घरेलू हिंसा के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं को पुरुषों से निम्न स्थिति में रखने की मानसिकता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, नशे की प्रवृत्ति, बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव तथा सामाजिक कुरीतियों भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं।

अक्सर महिलाएँ आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर होने के कारण हिंसापूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में कठिनाई महसूस करती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार टूटने का डर भी शिकायत न करने का एक कारण हो सकता है।

8. घरेलू हिंसा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से घरेलू हिंसा को शक्ति एवं नियंत्रण के असमान संबंधों से जोड़कर देखा जा सकता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में परिवार के भीतर निर्णय लेने की शक्ति का असमान वितरण लैंगिक असमानता को बढ़ा सकता है।

जब किसी एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर अधिक नियंत्रण होता है, तब शक्ति का दुरुपयोग हिंसा के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए घरेलू हिंसा का समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और लैंगिक भूमिकाओं में सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से भी किया जाना आवश्यक है।

9. घरेलू हिंसा के प्रभाव

घरेलू हिंसा के अनेक गंभीर परिणाम होते हैं। पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक प्रताड़ना के साथ मानसिक तनाव, भय, असुरक्षा, आत्मविश्वास में कमी और सामाजिक अलगाव जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

घरेलू हिंसा का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। हिंसापूर्ण पारिवारिक वातावरण बच्चों के भावनात्मक विकास, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि परिवार और समाज से जुड़ी व्यापक एवं जटिल समस्या है।

10. घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं–

- महिलाओं एवं परिवार के अन्य सदस्यों में कानूनी एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।
- महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए।
- लैंगिक समानता एवं सम्मान की भावना को परिवार और शिक्षा व्यवस्था में विकसित किया जाए।
- दहेज, नशाखोरी और महिलाओं के प्रति भेदभाव जैसी सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
- पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
- परिवार एवं समुदाय को हिंसा के मामलों में संवेदनशील और सहयोगी बनाया जाए।
- कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ पीड़ितों तक सहायता सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित की जाए।

11. निष्कर्ष

घरेलू हिंसा एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसका संबंध परिवार, लैंगिक असमानता, सामाजिक संरचना और शक्ति-संबंधों से है। इसे केवल पति-पत्नी के निजी विवाद के रूप में देखना समस्या की गंभीरता को कम करके आंकना होगा।

घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता आवश्यक है। परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ प्रत्येक सदस्य को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर मिले।

एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए यह अति आवश्यक है कि घरेलू हिंसा के प्रति 'सहन करने' के बजाय 'आवाज उठाने' और 'सहयोग देने' की सामाजिक संस्कृति को विकसित की जाए।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, महिलाओं का संरक्षण एवं महिला संबंधी विधिक प्रावधान।
2. भारत सरकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), भारत।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार, संबंधित रिपोर्ट एवं प्रकाशन।
5. समाजशास्त्र एवं महिला अध्ययन से संबंधित मानक पुस्तकें एवं शोध-पत्र।
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, संबंधित रिपोर्ट एवं दस्तावेज।